

# ओडीओपी को गति देने को सिडबी से करार होगा

अनुबंध के तहत 100 करोड़ रुपए का **वेंचर फंड** जुटाने और उसके प्रबंधन में मदद करेगा बैंक

राज्य, लखनऊ : एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को धार देने के लिए राज्य सरकार का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग जल्द ही भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से अनुबंध करेगा। अनुबंध के तहत राज्य के एमएसएमई पार्टनर के तौर पर सिडबी सूबे में छोटे व मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास के लिए व्यापक और विस्तृत योजना तैयार करेगा। ओडीओपी से जुड़ी एमएसएमई इकाइयों की पूंजी की जरूरतें पूरी करने के लिए सिडबी राज्य सरकार के साथ

मिलकर शुरुआत में 100 करोड़ रुपये का समर्पित वेंचर फंड जुटाने, उसके प्रबंधन और संचालन में मदद करेगा। इसका लाभ ओडीओपी की वैल्यू चेन से जुड़ी इकाइयों को भी मिलेगा।

गौरतलब है कि ओडीओपी योजना के तहत योगी सरकार प्रदेश के सभी जिलों के परंपरागत विशिष्ट उत्पादों को चिह्नित कर उन्हें देश ही नहीं दुनिया में बड़ा बाजार सुलभ कराने की कोशिश में जुटी है। ओडीओपी उत्पाद तैयार करने वाली इकाइयां भी एमएसएमई सेक्टर से ताल्लुक रखती हैं। एमएसएमई के

कायाकल्प के लिए सिडबी की ओर से बनायी जाने वाली योजना पांच साल के लिए होगी जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों की कर्ज और अन्य जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। यह योजना वैज्ञानिक तौर-तरीकों पर आधारित होगी जिसे बनाते समय राज्य के विभिन्न इंडस्ट्रियल क्लस्टर की मौजूदा गतिविधियां, संभावनाएं, कर्ज की सुलभता के अलावा उनके सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। योजना को अमली जामा पहनाने और उसकी

नियमित समीक्षा के लिए सिडबी एक समर्पित टीम भी बनाएगा। यह टीम हर महीने रिपोर्ट एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी को सौंपेगी जिसमें सिडबी और राज्य सरकार दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत उप्र सरकार कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई, नाई, सोनार, मोची, मिस्त्री आदि श्रमजीवी कर्मकारों और परंपरागत हस्तशिल्पों से जुड़े कारीगरों का कौशल विकास करने के साथ उन्हें आधुनिक

टूल किट मुहैया करा रही है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि सिडबी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों की पूंजी की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थाओं (एनबीएफसी) और म्यूचुअल फंड संस्थाओं से जोड़ेगा। वह सूबे में समस्याओं का सामना कर रही एमएसएमई इकाइयों को मौजूदा योजनाओं के माध्यम से तकनीकी-वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में भी मदद करेगा।